ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

खरजी बनाम ल्हाइ

नाम न्यायालय

केस संख्या 76/22 ...

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/7/25	पत्रावली आज दिनांक 4/3/25 ... पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड० बार ... जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/7/25 को पेश हो।
	25/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधि० उप०। वास्ते बहस दिनांक 28/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	28/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। वादी ने लिखित बहस पेश की। वास्ते आदेश दिनांक 14/8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	14/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वाद, वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –76/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक –23.06.2022

1. श्रीमती बरजी देवी पत्नी स्व. श्री जगन्नाथ बुनकर पुत्री स्व. श्री ईश्वरया जाति बलाई, ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रूडमल बनुकर पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशीलाल पुत्र स्व. श्री ईश्वरया।
3. श्रवण बुनकर पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशीलाल पुत्री स्व. श्री ईश्वरया।
4. जगदीश बुनकर पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री सुशीलाल पुत्र स्व. श्री ईश्वरया।

   समस्त निवासीयान – ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, पोस्ट अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमती झमरी देवी पत्नी श्री भैरूलाल, पुत्री स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशीलाल पुत्र स्व. श्री ईश्वरया निवासी ग्राम सांचौती, कालवाड, तहसील जयपुर, जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. लादूराम बुनकर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर (मृतक दौराने दावा)

1/1. सांवरमल पुत्र स्व. श्री लादूराम

1/2. बनवारी पुत्र स्व श्री लादूराम

समस्त जाति बलाई, निवासीयान ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. बिरदा पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर
3. सीताराम पुत्र स्व. श्री रामेश्वर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर
4. विनोद पुत्र स्व. श्री रामेश्वर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर
5. माया पत्नी श्री विनोद बुनकर, पुत्री स्व. श्री रामेश्वर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर समस्त जातियान बलाई, समस्त निवासीयान ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. काना बुनकर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर जाति बलाई, निवासी ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

—— प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

उपस्थिति :– (1) श्री सुमेर सैनी – अधिवक्ता वादीगण की ओर से

::निर्णय::

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में साबिक भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 1 बीघा, 380 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 384 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा स्थित थी। जिसकी खातेदारी साबिक राजस्व अभिलेख में ईश्वरया पुत्र देवलया के नाम दर्ज थी। भूप्रबंध संक्रिया के दौरान साबिक भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 1 बीघा, 380 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 384 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर के हाल खसरा नंबर 672 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 684 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 673 रकबा 0.48 हैक्टेयर 0.48 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर बने। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कृषि भूमि की साबिक खातेदार साबिक राजस्व अभिलेख में ईश्वरिया पुत्र देवलया के नाम दर्ज थी। परंतु ईश्वरिया पुत्र देवलया की वर्ष 1980 को निर्वसीयती अवस्था में स्वर्गवास हो जाने पर, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 व 3 लगायत 4 के पिता रामेश्वर बुनकर ने राजस्व कर्मचारियों/सरपंच से साठगांठ कर, भूमि की खातेदारी स्वयं के नाम दर्ज करवा ली, जबकि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 तथा रामेश्वर बुनकर उक्त ईश्वरिया पुत्र देवलया के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं थे, स्व. श्री ईश्वरिया के कोई पुत्र संतान नहीं थी, अपितु केवल दो पुत्रियों क्रमशः बरजी देवी वादी संख्या 1 एवं लाडा देवी जिनके वारिसान वादी संख्या 2 लगायत 4 हैं, ही थी। जो स्वर्गीय श्री ईश्वरिया की प्रथम श्रेणी की विधिक प्रतिनिधि थी, परंतु प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 व रामेश्वर ने स्व. श्री ईश्वरिया के प्रथम श्रेण के विधिक प्रतिनिधियों को छिपाकर स्व. श्री ईश्वरिया की खातेदारी की भूमि का नामान्तरण स्वयं के नाम भरवा लिया, जो वादीगण के हक अधिकारो के प्रति अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है। स्व. श्री ईश्वरिया की मृत्यु पर वाद संपत्ति उनकी पुत्री संतानों क्रमशः बरजी देवी व लाडा देवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, ईश्वरिया की मृत्यु के पश्चात लाडा देवी का भी दिनांक 24.12.1984 को स्वर्गवास हो गया था, जिनके विधिक प्रतिनिधि वादी संख्या 2 लगायत 4 है, जिन्हें वाद संपत्ति में लाडा देवी का हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ है। वाद संपत्ति पर स्व. ईश्वरिया अपने जीवनकाल में अपनी पुत्रियों बरजी देवी व लाडा देवी के साथ काबिज काश्त रहे थे तथा जिनकी मृत्यु के पश्चात से बरजी देवी व लाडा देवी उक्त संपत्ति पर काबिज काश्त थी। लाडा देवी की मृत्यु के पश्चात वाद संपत्ति पर वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 लगायत 5 अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। वादी संख्या 2 लगायत 5 की माता श्रीमती लाडा देवी का दिनांक 24.12.1984 को स्वर्गवास हो गया था, वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 लगायत 5 के मध्य उक्त आराजीयात को लेकर विवाद ना हो, इसलिए वादी संख्या 1 ने वादी संख्या 2 ता 5 के समक्ष भूमि का विभाजन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

का प्रस्ताव रखा जिस पर जब राजस्व अभिलेख की सत्यप्रति प्राप्त की गई तो यह जानकारी में आया कि स्व. श्री ईश्वरिया की भूमि उनकी दोनों पुत्रियों लाडा देवी व बरजी देवी के नाम ना होकर, स्व. श्री ईश्वरया के भाई चौथू के वारिसान जो प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 7 है, के नाम है। जिस पर पुराने राजस्व अभिलेख की प्रति के लिए आवेदन कर संपूर्ण राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि स्व. श्री ईश्वरिया के भाई चौथू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 व रामेश्वर द्वारा वाद संपत्ति स्वयं के नाम दर्ज करवा ली। जिस पर वादीगण द्वारा स्व. श्री ईश्वरिया की मृत्यु के पश्चात खोले गये फौती नामान्तकरण के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माननीय उपखंड अधिकारी आमेर के समक्ष बरजी देवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खोराबीसल, हाल नांगल सिरस प्रस्तु कर रखी है, जो लंबित है। वादीगण अधिकारी है कि वह न्यायालय से इस आशय की घोषणा डिक्री प्राप्त कर सके, साबिक भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 377 रकबा 1 बीघा, 380 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 384 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम नांगल सिरस, खोराबीसल, हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के साबिक खातेदार ईश्वरिया पुत्र देवलया की खातेदारी की भूमि होने के कारण उक्त भूमि वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है, जिसके हाल खसरा नंबर 672 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 684 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 673 रकबा 0.48 हैक्टेयर 0.48 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 वाके ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर के राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 व रामेश्वर पुत्र चौथू का नाम विलोपित किया जाकर जरिये दुरूस्ती उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख का दुरूस्त किया जाकर, वादीगण का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर, वादीगण का पृथक से खाता व लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, 7 को इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद फरमाया जावे कि प्रविवादी संख्या 1 लगायत 5, 7 वाद संपत्ति हाल भूमि खसरा नंबर 672 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 684 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 673 रकबा 0.48 हैक्टेयर 0.48 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 वाके ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर के उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की बाधा व विघ्न ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से करवावें। दिनांक 16.04.2022 को वादी संख्या 1 वादी संख्या 2 लक्ष्मण के साथ वाद संपत्ति की मेडो को दुरूस्त करवा रही थी, तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाद संपत्ति पर आये तथा लडाई झगडा करने लगे और धमकी दी कि वाद संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व उनके भाई रामेश्वर के वारिसान के नाम है, इसलिए वे वाद संपत्ति का बेचान करेंगे। जिसका वादीगण द्वारा कडा ऐतराज किया गया तो, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आग बबूला हो गये तथा लडाई झगडा करने को आमादा हो गये। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर

की समझाईश करने पर तत्समय वे चले गये परंतु धमकी देकर गये कि, वे तो वाद संपत्ति को बेचान करके ही दम लेंगे तथा वादीगण को वाद संपत्ति से जबरन बेदखल कर, उस पर व्यवसायिक गतिविधि संचालित करवायेंगे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 16.09.2022 व प्रतिवादी संख्या 2 व 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 04.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को अनेक अवसर देने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। तदुपरान्त साक्ष्य वादीगण हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. PW1 श्रीमती बरजी देवी पत्नी स्व. जगन्नाथ बुनकर पुत्री स्व. श्री ईश्वरया, जाति बलाई, ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. PW2 श्रवण बुनकर पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री सुशीलाल पुत्री स्व. श्री ईश्वरया निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, पोस्ट अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. PW3 रूडमल बुनकर, पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशीलाल पुत्री स्व. श्री ईश्वरया ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, पोस्ट अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. PW4 जगदीश बुनकर, पुत्र श्री स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशी लाल पुत्री स्व. श्री ईश्वरया, निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, पोस्ट अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. PW5 झमरी देवी पत्नी श्री भैरू राम पुत्री स्व. श्रीमती लाडा देवी पुत्री स्व. श्री ईश्वरया निवासी ग्राम साचोती, तहसील जयपुर पंचायत सरना चौड, जिला जयपुर।

वादिया की ओर से वाद पत्र के समर्थन में सत्यप्रति जमाबंदी खसरा नंबर 377, 380, 384 संवत 2019 प्रदर्श 1 व 2, सत्यप्रति नामांतकरण सख्या 90 दिनांक 11.03.1980 प्रदर्श 3, सत्यप्रति नक्शा प्रदर्श 4, सत्यप्रति मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, सत्यप्रति जमाबंदी संवत 2061 प्रदर्श 6, सत्यप्रति जमाबंदी संवत 2064 प्रदर्श 7, सत्यप्रति जमाबंदी संवत 8 प्रदर्श 8, सत्यप्रति कुर्सीनामा प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा वादी की ओर से उपरोक्त प्रकरण पर लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र की सम्यक तामिल प्रतिवादीगण पर होने पर प्रतिवादीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थिति नहीं आया जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अभिलेख पर वादीगण के वाद पत्र के

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

अभिवचनों का कोई खण्डन नहीं है। ऐसी सूरत में मामले में विवाद्यक भी कायम नहीं हुए है। वाद पत्र में वर्णित किये गये अभिवचन, वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष की प्रकृति के मद्देनजर गौर किये जाने उचित है, जिसमें वादीगण द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि राजस्व ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में साबिक भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 1 बीघा, 380 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 384 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी वादी संख्या 1 के पिता व लाडा देवी के पिता श्री ईश्वरया पुत्र देवलया के नाम दर्ज थी। देवलया की पुत्री लाडा देवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान वाद पत्र के वादी संख्या 1 के अतिरिक्त शेष वादीगण है। भूमि खसरा नंबर 377, 380, 384 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा के नये खसरा नंबर 672, 684, 673 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर बने। जिसकी खातेदारी ईश्वरिया पुत्र देवलया के नाम दर्ज थी। ईश्वरिया का वर्ष 1980 में निर्वसीयती अवस्था में स्वर्गवास होने पर, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 क्रमशः लादुराम बुनकर, बिरदा, माया, काना व 3 लगायत 4 सीताराम, विनोद के पिता रामेश्वर बुनकर ने राजस्व कर्मचारियों / सरपंच से साठगांठ कर, भूमि की खातेदारी स्वयं के नाम दर्ज करवा ली, जबकि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 तथा रामेश्वर बुनकर, ईश्वरिया पुत्र देवलया के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नही थे, स्व. श्री ईश्वरिया के कोई पुत्र संतान नहीं थी, अपितु केवल दो पुत्रिया जिनमें से एक बरजी देवी जो हस्तगत वाद की वादी संख्या 1 व दूसरी लाडा देवी थी। लाडा देवी का स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान वादी संख्या 2 लगायत 5, रूडमल, श्रवण, जगदीश व झमरी हैं, जो स्वर्गीय श्री ईश्वरिया की प्रथम श्रेणी की विधिक प्रतिनिधि थी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 व रामेश्वर ने स्व. श्री ईश्वरिया के प्रथम श्रेणी के विधिक प्रतिनिधियों को छिपाकर, स्व. श्री ईश्वरिया की खातेदारी की भूमि का नामान्तरण स्वयं के नाम भरवा लिया, जो वादीगण के हक अधिकारो के प्रति अवैद्य, शुन्य व निष्प्रभावी हैं। वादी संख्या 1 व लाडा देवी के पिता स्व. श्री ईश्वरिया की मृत्यु पर वाद संपति उनकी पुत्री संतानो वादी संख्या 1 व लाडा देवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, वादी संख्या 1 के पिता ईश्वरिया की मृत्यु के पश्चात लाडा देवी का भी दिनांक 24.12.1984 को स्वर्गवास हो गया था, जिनके विधिक प्रतिनिधि वादी संख्या 2 लगायत 5 हैं, जिन्हें वाद भूमि में लाडा देवी का हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ हैं। उपरोक्त भूमि पर वादी संख्या 1 के पिता स्व. श्री ईश्वरिया के साथ उनके जीवन काल में लाडा देवी काबिज काश्त रहे हैं तथा जिनकी मृत्यु के पश्चात से वादी संख्या 1 व लाडा देवी उक्त संपति पर अपनी संतानों के साथ काबिज काश्त थी। लाडा देवी की मृत्यु से वाद संपति पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 अपने-अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त हैं। लाडा देवी का दिनांक 24.12.1984 को स्वर्गवास हो गया था, वादी के एवं वादी संख्या 2 लगायत 5 के मध्य उक्त आराजीयात को लेकर विवाद ना हो, इसीलिये वादी संख्या 1 ने वादी संख्या 2 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

5 के समक्ष भुमि का विभाजन करवाने का सुझाव रखा, जिस पर राजस्व अभिलेख की सत्यप्रति प्राप्त की गई तो, यह जानकारी में आया कि, स्व. श्री ईश्वरया की भूमि लाडा देवी व वादी संख्या 1 के नाम ना होकर, स्व. श्री ईश्वरया के भाई चौथू के वारिसान जो प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 हैं, के नाम हैं। जिस पर पुराने राजस्व अभिलेख की प्रति के लिये आवेदन कर संपूर्ण राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त की तो, ज्ञात हुआ कि, स्व. श्री ईश्वरिया के भाई चौथू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7 व रामेश्वर द्वारा वाद संपति स्वयं के नाम दर्ज करवा ली। जिस पर वादीगण द्वारा स्व. श्री ईश्वरिया की मृत्यु के पश्चात खोले गये फौती नामान्तरण के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम माननीय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष बरजी देवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खोराबिसल, हाल नांगल सिरस, प्रस्तुत कर रखी है, जो लंबित हैं। साबिक भूमि खसरा नंबर 377, 380, 384 राजस्व ग्राम नांगल सिरस, खोरा बिसल, हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के साबिक खातेदार ईश्वरिया पुत्र देवलया की खातेदारी की भूमि होने के कारण उक्त भूमि वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई हैं, जिसके हाल खसरा नंबर 672, 673, 684 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर वादी संख्या 1 व लाडा देवी को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1, 2. 5, 7 व रामेश्वर पुत्र चौथू का नाम विलोपित किया जाकर, जरिये दुरूस्ती उक्त भूमि की खातेदारी हम वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर, वादीगण का बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर, वादीगण का पृथक से खाता व लगान कायम किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमाया जावे कि, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वाद संपति हाल भूमि खसरा नबर 672, 673, 684 राजस्व ग्राम सिरस की नांगल, खोरा बिसल, हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की बाधा व विघ्न ना तो स्वयं उत्पन्न करे, ना ही अन्य दिगर से करवावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमाया जावे कि, वे वाद संपति के किसी भी अंश अथवा हिस्से को अन्य किसी दिगर को किसी भी प्रकार से विकय, रहन, अन्तरण, बन्धक, बख्शीश, गिफ्ट, वसीयत आदि नही करें एवं ना ही हमको वाद संपति से जबरन बेदखल करे, ना ही कृषि भूमि की प्रकृति का परिवर्तीत कर, इस पर किसी भी प्रकार की अवसायिक गतिविधि जबरन संचालित करे। दिनांक 16.04.2022 को जब वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 के साथ वाद संपति की मेडो को दुरूस्त करवा रहे थे तो प्रतिवादी संख्या 1 लादूराम व प्रतिवादी संख्या 2 बिरदा वाद संपति पर आये तथा लडाई झगडा करने लगे और धमकी दी कि, वाद संपति को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व उनके भाई रामेश्वर के वारिसान के नाम हैं, इसलिये वे वाद संपति को बेचान करेंगें। जिसका वादीगण द्वारा कडा ऐतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

किया गया तो, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आग बबूला हो गये तथा लडाई झगडा करने को आमादा हो गये। अतः वादी डिक्री किया जावे।

वादी की बहस एवं लिखित बहस तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण ने वाद का कोई खण्डन नहीं किया। प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श– 8 का अवलोकन किया गया। जिसमें एक नोट अंकित किया गया है कि दिनांक 25/08/2019 खसरा संख्या : 672, 676, 674 सभी काश्तकार पर भूमि माफी मंदिर श्रीद्वारकाधीश जी की होने से रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है नोट लगा हुआ है। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए रेफरेन्स संख्या/एलआर/4380/2010/जयपुर बउनवानी सरकार बनाम लूदराम आदि का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 05.5.2022 को निर्णय आदेश पारित किया जा चुका है तथा आदेश में रेफरेन्स स्वीकार करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये है कि विवादित नये खसरा नम्बर 672, 673, 684 किता 3 रकबा 1.30 हैक्टेयर को पुनः माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किया जावे।

माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 05.05.2022 को पारित किया गया है जिसमें यह नहीं कहां जा सकता है कि उक्त की जानकारी प्रार्थी/वादी को नहीं रही हो जिसके बावजूद वादी द्वारा दिनांक 23.06.2022 को इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है।

इसके अतिरिक्त वादी ने वाद में उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चहा है, जब उक्त आराजी वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा माफी मंदिर घोषित की जा चुकी है तो उक्त अनुतोष पोषणीय नहीं है क्योकि उक्त अनुतोष अन्य पक्षकारो के मध्य चाहा गया है अतः वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या — 76 / 2022
बउनवानी — बरजी देवी बनाम लादूराम वगै0
निर्णय दिनांक :— 14.08.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या —76 / 2022 वाद प्रस्तुति दिनांक —23.06.2022

1. श्रीमती बरजी देवी पत्नी स्व. श्री जगन्नाथ बुनकर पुत्री स्व. श्री ईश्वरया जाति बलाई, ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रूडमल बनुकर पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशीलाल पुत्र स्व. श्री ईश्वरया।
3. श्रवण बुनकर पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशीलाल पुत्री स्व. श्री ईश्वरया।
4. जगदीश बुनकर पुत्र स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री सुशीलाल पुत्र स्व. श्री ईश्वरया।

   समस्त निवासीयान — ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, पोस्ट अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमती झमरी देवी पत्नी श्री भैरूलाल, पुत्री स्व. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व. श्री सुशीलाल पुत्र स्व. श्री ईश्वरया निवासी ग्राम सांचौती, कालवाड, तहसील जयपुर, जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. लादूराम बुनकर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर (मृतक दौराने दावा)

1/1. सांवरमल पुत्र स्व. श्री लादूराम

1/2. बनवारी पुत्र स्व श्री लादूराम

समस्त जाति बलाई, निवासीयान ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. बिरदा पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर
3. सीताराम पुत्र स्व. श्री रामेश्वर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर
4. विनोद पुत्र स्व. श्री रामेश्वर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर
5. माया पत्नी श्री विनोद बुनकर, पुत्री स्व. श्री रामेश्वर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर समस्त जातियान बलाई, समस्त निवासीयान ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. काना बुनकर पुत्र स्व. श्री चौथू बुनकर जाति बलाई, निवासी ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

<u>दावा उद्घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 14.08.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested